मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड-2, पंचम तल पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

Tel. No. : (O) 0755-2572207, (F) 2573396 E-mail : ceomprrda@gmail.com

क्रमांक : 13037 भोपाल, दिनांक : 22/5/2017

प्रति,

1. **अपर मुख्य सचिव,**
   म.प्र.शासन, वित्त विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग/वन विभाग/योजना आर्थिक एवं साख्यिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. **प्रमुख सचिव,** म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग/सूचना प्रोद्योगिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. **सचिव,** म.प्र.शासन, खनिज संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. **महानिदेशक,** राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी, नई दिल्ली।
4. **मुख्य महाप्रबंधक** राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ई–5 अरेरा कालोनी, रविशंकर नगर, भोपाल।
5. **प्रधान मुख्य वन संरक्षक,** वन विभाग, भोपाल।
6. **प्रमुख अभियंता,** लोक निर्माण विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
7. **टेक्नीकल डायरेक्टर,** राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी) भोपाल।
8. **विभागाध्यक्ष,** सिविल इंजीनियरिंग विभाग, एम.ए.सी.टी. (स्टेट टेक्नीकल एजेन्सी), भोपाल।
9. **मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर,** वल्लभ भवन भोपाल।

विषयः– **म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की साधिकार समिति की 54 वीं बैठक का आयोजन।**

महोदय,

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की साधिकार समिति की **54 वीं** बैठक माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की जाना है। बैठक से संबंधित एजेण्डा नोट संलग्न प्रेषित हैं। बैठक से संबंधित तिथि, समय एवं स्थान के संबंध में पृथक से सूचित किया जाएगा।

22/5

(नीतेश व्यास)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल

पृष्ठांकन क्रं. 13038 दिनांक 22/5/2017

प्रतिलिपि–

प्रमुख अभियंता/मुख्य महाप्रबंधक (समस्त)/महाप्रबंधक तकनीकी म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय, भोपाल।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल

भाग – 2 निर्णय हेतु विषय

स्थापना एवं प्रशासन

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक 54/7
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में विभिन्न कार्यों के लिये शक्तियों का प्रत्यायोजन।

मध्यप्रदेश ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण की साधिकार समिति की 53 वीं बैठक दिनांक 07.11.2016 के एजेण्डा क्र. 53/12 में प्राप्त अनुमोदन के अनुक्रम में आदेश क्र. 25094/22/वि–12/ग्रास/2016 दिनांक 13.12.2016 के द्वारा निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये गये थे :–

1 प्राधिकरण के मुख्य महाप्रबंधक (समन्वय) राशि रू. 5 लाख (पांच लाख) तक के व्यय की स्वीकृति प्रदान कर सकेगें।
2 प्राधिकरण के मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) रूपये 5 लाख (पांच लाख) तक की राशि के चैक्स अपने हस्ताक्षर से जारी करेंगे।
3 रूपये 5 लाख (पांच लाख) से अधिक राशि के चैक, प्राधिकरण के मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी होंगे।

2. मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजना अन्तर्गत निर्मित ग्रेवल सडकों का उन्नयन कर डामरीकरण का कार्य लगभग 10000 हजार कि.मी. में कराये जाने की योजना तथा पीएमजीएसवाय–2 के अन्तर्गत 5000 कि.मी. लम्बाई के Through route को आवश्यकतानुसार उन्नयन किये जाने के योजना के कारण प्राधिकरण के कार्य/स्वरूप में विस्तार संभावित है। उक्त स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्यादा से ज्यादा भ्रमण करना अपेक्षित होगा। इस हेतु यह भी अपेक्षित है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय में ऐसे कार्यो में ना व्यस्त हो जाए जिससे उन्हें भ्रमण का समय नहीं मिल सके। अतः ऐसी स्थिति में सामान्य कार्यालयीन प्रक्रिया से संबधित अधिकार अधिनस्थ अधिकारी या अधिकारियों की समिति में प्रत्यायोजित किया जाना आवश्यक है, ताकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भ्रमण के लिए समय मिल सके।

3. अतः प्रस्तावित है कि :

(अ) आदेश क्र. 25094/22/वि–12/ग्रास /2016 दिनांक 13.12.2016 में निम्नानुसार प्रति स्थापित किया जाए :–

(i) प्राधिकरण के मुख्य महाप्रबंधक (समन्वय) राशि रूपये 10.00 लाख (दस लाख) तक के व्यय की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर सकेगें।
(ii) प्राधिकरण के मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) रूपये 10.00 लाख (दस लाख की राशि) तक के चैक्स अपने हस्ताक्षर से जारी कर सके।
(iii) रूपये 10.00 लाख से अधिक राशि के चैक्स प्राधिकरण के मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं मुख्य महाप्रबंधक समन्वय के हस्ताक्षर से जारी होगें।

(ब) मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कार्यालयीन प्रक्रियाओं हेतु प्रदत्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के अन्तर्गत शासन के अनुदान के ऋणों का बैंकों को EMI के रूप में पुर्नभुगतान करने के संबंध में प्रदत्त अधिकार आवश्यकतानुसार अपने अधिनस्थ अधिकारी/अधिकारियों की समिति को प्रत्यायोजित करने हेतु अधिकृत किया जाए।

कृपया कंडिका 3 (अ) एवं (ब) का प्रस्ताव साधिकार समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक 54/8

प्राधिकरण में प्रमुख अभियंता, मुख्य महाप्रबंधक एवं महाप्रबंधक के रिक्त पदों को संविदा आधार पर पूर्ति किए जाने के संबंध मे।

विषयान्तर्गत म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में निर्माण कार्यो के संपादन एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रमुख अभियंता का 1 पद, मुख्य महाप्रबंधक के 8 पद एवं महाप्रबंधक के 105 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 83 इकाईयां पुनर्गठित की गई हैं जबकि प्राधिकरण की इकाईया हेतु वर्तमान में 64 महाप्रबंधक उपलब्ध हैं। इस प्रकार 19 पद रिक्त हैं। इसी तरह मुख्य महाप्रबंधक के कुल 8 पदों के विरूद्ध 1 पद रिक्त है। निकट भविष्य में सेवानिवृत्ति से 1 पद प्रमुख अभियंता तथा 1 पद मुख्य महाप्रबंधक का और रिक्त हो जावेगा।

2. महाप्रबंधक के रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से पूर्ति हेतु वर्ष 2016 में दो बार विज्ञप्ति जारी कर चयन की कार्यवाही पूर्ण की गई, परंतु अन्य विभागों से योग्य अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त नहीं होने से रिक्त पदों की पूर्ति नहीं की जा सकी। आगामी समय में प्राधिकरण में सीएमजीएसवाय अंतर्गत निर्मित ग्रेवल सड़कों के डामरीकरण में 10 हजार कि.मी. का कार्य एवं इसी तरह पीएमजीएसवाय–2 में 5 हजार कि.मी. के नवीन एवं उन्नयन संबंधी कार्य किये जाना है जिसके लिये मुख्य महाप्रबंधक एवं महाप्रबंधक के पदों की पूर्ति की जाना आवश्यक है।

3. प्राधिकरण अंतर्गत निर्माण कार्यो में गुणवत्ता, नियंत्रण एवं संभाग स्तर पर पर्यवेक्षण इत्यादि हेतु मुख्य महाप्रबंधक को संभाग स्तर की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। मुख्य महाप्रबंधक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित प्रकिया अनुसार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अथवा प्राधिकरण में अधीक्षण यंत्री के पद पर कार्यरत महाप्रबंधक से करने के प्रयास किये गये, परंतु अभी भी 1 पद रिक्त है तथा भविष्य में सेवानिवृत्ति से भी पद रिक्त होंगे।

4. प्राधिकरण अंतर्गत मुख्य महाप्रबंधक के पद पर मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी पदस्थ किये जाने का प्रावधान है परंतु इस स्तर के अधिकारी उपलब्ध न होने से समय–समय पर प्रावधान शिथिल करते हुये मुख्य महाप्रबंधक के पद पर वरिष्ठ अधीक्षण यंत्री प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदस्थ किये गये हैं। इसी तरह महाप्रबंधक का पद अधीक्षण यंत्री स्तर का पद है, पर इस स्तर के अधिकारी उपलब्ध न होने से समय–समय पर प्रावधान शिथिल कर कार्यपालन यंत्री एवं वरिष्ठ सहायक यंत्रियों को महाप्रबंधक का प्रभार सौंपा गया है। प्रावधान शिथिल करने के पश्चात भी वर्तमान में महाप्रबंधक के 19 रिक्त हैं।

5. जनवरी 2018 में प्रमुख अभियंता म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत्त होने से प्रमुख अभियंता का पद भी रिक्त हो जावेगा। प्रमुख अभियंता के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने हेतु प्राधिकरण में अर्हताधारी अधिकारी उपलब्ध नहीं है तथा प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों से मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी भी शायद उपलब्ध हो, जिन्हें प्रमुख अभियंता का प्रभार दिया जा सके। अतः प्रमुख अभियंता का पद भी संविदा आधार पर, प्रमुख अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुये अनुभवी अधिकारियों से निर्धारित प्रकिया अनुसार भरा जाना प्रस्तावित है।

6. प्रमुख अभियंता, मुख्य महाप्रबंधक एवं महाप्रबंधक के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा आधार पर निर्धारित योग्यताधारी सेवानिवृत्त शासकीय/अशासकीय (निगम, मंडल में कार्यरत रहे) सेवकों से विज्ञापन के माध्यम से निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है :–

6.1 संविदा सेवा में प्रतिमाह निम्नानुसार एकजाई संविदा मानदेय देय होगा :–

1. महाप्रबंधक	–	रू. 50,000/– प्रतिमाह
2. मुख्य महाप्रबंधक	–	रू. 90,000/– प्रतिमाह
3. प्रमुख अभियंता	–	रू. 1,25,000/–प्रतिमाह

6.2 सेवानिवृत्ति उपरांत विज्ञापन जारी होने की दिनांक को 63 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सेवक आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।

6.3 संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज् में एक माह का पारिश्रमिक देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

6.4 प्राधिकरण में संविदा नीति सेवकों के अनुसार समान अवकाश की पात्रता होगी।

6.5 यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जो कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी।

6.6 संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होंगे। प्रमुख अभियंता, मुख्य महाप्रबंधक एवं महाप्रबंधक के पद पर कार्य करते हुये यदि उनके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत कार्य करने की सूचना प्राप्त होती है तो उन्हें सम्यक जांचोपरांत दोषी पाये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की जावेगी। प्राधिकरण को संविदा पर नियुक्त अधिकारियों के आचरण/कार्य से वित्तीय हानि होने की स्थिति में वसूली भू. राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी तथा आवश्यकता होने पर अपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जा सकेगा।

6.7 संविदा पर नियुक्त संविद अधिकारियों को आवश्यकतानुसार स्थानांतरित किया जा सकेगा।

6.8 निर्धारित चयन प्रक्रिया अनुसार उपयुक्त पाये जाने पर मूल विभाग से सेवानिवृत्ति वर्ष से पूर्व के विगत पांच वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग एवं विभागीय जांच इत्यादि की जानकारी प्राप्त होने पर ही पदस्थापना की जावेगी। गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग में कम से कम तीन वर्षो में क एवं इससे उच्च तथा एक भी वर्ष में घ न हो, के अनुरूप होना चाहिये एवं इनके विरूद्ध कोई भी विभागीय

जांच/लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/विजिलेंस इन्क्वायरी के प्रकरण लंबित न हो।

6.9 चयन प्रक्रिया में उपयुक्त पाये जाने एवं शर्त क्र. 6.4 की पूर्ति होने पर दो वर्ष के लिये सक्षम अधिकारी अर्थात मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध **(प्रारूप परिशिष्ट–1 संलग्न)** किया जावेगा, जिसे समीक्षा उपरांत कार्य संतोषजनक होने पर 65 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकेगा।

6.10 प्रमुख अभियंता के पद हेतु प्रमुख अभियंता (सिविल) पद से सेवानिवृत्त हुये अधिकारी जिन्हें प्रमुख अभियंता के पद पर पदोन्नत होने के साथ न्यूनतम 2 वर्ष की शासकीय सेवा का अनुभव हो, संविदा नियुक्ति हेतु पात्र होंगे।

6.11 मुख्य महाप्रबंधक के पद हेतु मुख्य अभियंता (सिविल) से सेवानिवृत्त अथवा अधीक्षण यंत्री के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष अधीक्षण यंत्री के मूल पदधारित करते हुये सेवा की जाना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त इससे उच्च पद पर कार्यरत रहते हुये सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जैसे–प्रमुख अभियंता पद से सेवानिवृत्त भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।

6.12 महाप्रबंधक के पद हेतु राज्य शासन के कार्य विभागों, म.प्र. राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कम्पनियों, केन्द्र एवं राज्य शासन के निगम, मण्डल व उपक्रम के अधीक्षण यंत्री/ कार्यपालन यंत्री के पद से सेवानिवृत्त डिग्रीधारी सिविल इंजीनियर, अथवा ऐसे सेवानिवृत्त सिविल डिग्रीधारी सहायक यंत्री, जिन्हें 15 वर्षो का अनुभव सहायक यंत्री के रूप में हो, जिसमें से 10 वर्षों का फील्ड का अनुभव हो। इसके अतिरिक्त इससे उच्चे पद पर कार्यरत रहते हुये सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जैसे–मुख्य अभियंता/प्रमुख अभियंता से सेवानिवृत्त अर्थात ग्रेड पे रू. 8900 से अधिक होने पर आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

6.13 आवेदकों को सिविल इंजीनियरिंग डिग्रीधारी होना अनिवार्य होगा। उक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति प्रसारित कर प्राप्त आवेदनों में योग्य अभ्यर्थियों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के उपरांत उपयुक्त पाये जाने पर चयन किया जावेगा।

6.14 उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार प्रमुख अभियंता/मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक पद पर संविदा आधार पर 2 वर्ष हेतु नियुक्ति दी जा सकेगी, जिसे संविद अधिकारी का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आवश्यकतानुसार 65 वर्ष की आयु होने तक प्रतिवर्ष निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सक्षम अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकेगा। प्राधिकरण द्वारा प्रमुख अभियंता/मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक पदों पर प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हेतु प्रक्रिया भी सतत रूप से प्रचलित रहेगी। इस प्रक्रिया द्वारा प्राधिकरण को प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रमुख अभियंता/मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक पद हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त होते हैं तो संविदा पर नियुक्त किए गए मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधकों की सेवाऐं समाप्त की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव की कंडिका कमांक 6 (6.1 से 6.14) पर साधिकार समिति का अनुमोदन प्रार्थित है।

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक 54/9

प्राधिकरण के पुराने दो वाहनों का अपलेखन एवं एक नवीन वाहन क्रय करने बावत्।

प्राधिकरण अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री आवास मिशन इत्यादि कार्यो का संपादन म.प्र. के 51 जिलों में किया जाता है। वर्तमान में सड़क निर्माण कार्यो में लगभग प्रतिवर्ष 3 हजार 5 सौ करोड़ रू. का प्रतिवर्ष कार्यभार है। आगामी माहों में सीएमजीएसवाय अंतर्गत निर्मित ग्रेवल सड़कों का उन्नयन कर 10 हजार कि.मी. की डामरीकरण कार्ययोजना तथा पीएमजीएसवाय–2 के अंतर्गत 5 हजार कि.मी. के through route को आवश्यकतानुसार उन्नयन की योजना है। उक्त निर्माण कार्यो के समय सीमा में संपादन तथा गुणवत्ता एवं रूपांकन हेतु लगातार पर्यवेक्षण के लिये मुख्यालय स्तर से सतत मैदानी निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यो के विभिन्न स्तर पर टेस्टिंग किये जाने हेतु मुख्यालय स्तर से कार्यवाही की जाती है। नियमित निरीक्षण/मॉनिटरिंग हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों को उक्त कार्य हेतु मय उपकरणों के समय–समय पर प्रदेश के विभिन्न जिलों का भ्रमण करना होता है।

2. वर्तमान में प्राधिकरण में उपलब्ध शासकीय वाहन उपरोक्त कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है। इसके अतिरिक्त किराये का वाहन बार–बार लेने पर अधिक व्यय होने एवं सुविधा अनुरूप वाहन उपलब्ध न होने की संभावना बनी रहती है जिससे निर्माण कार्य समय–सीमा में पूर्ण कराया जाना संभव नहीं होता अथवा उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

3. प्राधिकरण में उपलब्ध कुल 6 शासकीय वाहनों में से 1 वाहन निष्प्रयोज हो जाने से नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही अंतिम चरणों में है।

प्राधिकरण अंतर्गत विभिन्न पीआईयू में सड़क निर्माण/संधारण कार्यो के सुपरविजन एवं निरीक्षण हेतु एक नवीन इनोवा वाहन टेस्टिंग/निरीक्षण/मॉनिटरिंग हेतु क्रय किया जाना आवश्यक है। इस हेतु मेसर्स टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स प्रा.लि. के भोपाल में अधिकृत विक्रेता मेसर्स राजपाल टोयोटा मिसरौद रोड़ भोपाल से स्पेशल शासकीय दर पर प्रोफार्म बिल अलग–अलग मॉडल के प्राप्त किये गये, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

स.क्र.	फर्म का नाम	वाहन मॉडल	कुल मूल्य
1	टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्रा. लि. भोपाल	Innova Euro IV (TG)	14,72,623.45
2	टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्रा. लि. भोपाल	Innova Euro IV (TC)	17,40,014.045
3	टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्रा. लि. भोपाल	Innova Euro IV (T1)	20,45,536.046

उपरोक्तानुसार एक वाहन के अपलेखन से प्राप्त होने वाली राशि एवं प्राधिकरण को प्राप्त अनुदान राशि से एक नवीन वाहन जो कि लगभग रू. 20 लाख का होगा, का क्रय DGS&D दरों पर अथवा DGS&D पर उपलब्ध न होने की स्थिति में स्पेशल शासकीय दरों पर क्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव साधिकार समिति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रकरण साधिकार समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अनुबंध–पत्र

यह अनुबंध .....(मुख्य कार्यपालन अधिकारी .....)
एवं ..... आत्मज/आत्मजा/पत्नि/..... निवासी .....
..... के मध्य निम्नानुसार शर्तो पर किया जाता है :–

संविदा की शर्तें :–

1. संविदा आधार पर 2 वर्ष हेतु नियुक्ति दी जा सकेगी; जिसे संविद अधिकारी का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आवश्यकतानुसार एक–एक वर्ष हेतु अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकेगा। प्राधिकरण द्वारा प्रमुख अभियंता/मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक पदों पर प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हेतु प्रक्रिया भी सतत रूप से प्रचलित रहेगी। इस प्रक्रिया द्वारा प्राधिकरण को प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रमुख अभियंता/मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक पद हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त होते हैं तो संविदा पर नियुक्त किए गए संविदा अधिकारियों की सेवाऐं समाप्त की जा सकेगी।
2. संविदा पर नियुक्त संविद अधिकारी को पदनाम ..... पर कार्यभार ग्रहण करते समय चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. संविदा सेवा में प्रतिमाह निम्नानुसार एकजाई संविदा मानदेय देय होगा :–
   1. महाप्रबंधक – रू. 50000/– प्रतिमाह
   2. मुख्य महाप्रबंधक – रू. 90000/– प्रतिमाह
   3. प्रमुख अभियंता – रू. 125000/– प्रतिमाह
4. यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जो कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी।
5. संविद अधिकारी को एक निश्चित कार्य (Assignment) ..... के लिये रखा जाता है।
6. संविदा पर नियुक्त संविद अधिकारी की संविदा अवधि पूर्ण होने पर नियुक्ति स्वमेव ही समाप्त मानी जायेगी, संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी को किसी प्रकार का लिखित में कोई सूचना/पत्र नहीं दिया जायेगा।
7. संविद अधिकारी द्वारा नियमितीकरण संबंधी कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।
8. संविदा पर नियुक्त संविद अधिकारी की सेवाएं निर्धारित अवधि के पूर्व विभाग/नियोक्ता द्वारा एक माह का वेतन देते हुये बिना किसी नोटिस/सूचना के व कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।
9. संविदा नियुक्ति के दौरान संविद अधिकारी द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज् में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
10. संविद अधिकारी सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के बिना कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
11. संविद अधिकारी को वर्ष में केवल 13 दिन के आकस्मिक अवकाश, 03 दिन के एच्छिक अवकाश एवं 15 दिवस के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी।
12. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होंगे। यदि उनके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत कार्य करने की सूचना प्राप्त होती है तो उन्हें सम्यक जांचोपरांत दोषी पाये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की जावेगी। प्राधिकरण को संविदा पर नियुक्त अधिकारियों के आचरण/कार्य से वित्तीय हानि होने की स्थिति में वसूली भू. राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी तथा आवश्यकता होने पर अपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जा सकेगा।

13. संविद अधिकारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जायेगी।
14. चयनित अभ्यर्थी उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण की तिथि से संविदा में माना जावेगा। यदि संविद अधिकारी बिना किसी सूचना/आवेदन के अपने कर्तव्य से लगातार 15 दिवस या इससे अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति उसकी अनुपस्थिति तिथि से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
15. संविदा अधिकारियों को आवश्यकतानुसार स्थानांतरित किया जा सकेगा।
16. संविदा समाप्ति या किसी प्रकार का कोई विवाद दोनों पक्षों के मध्य उत्पन्न होता है तो विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य/बंधनकारी होगा तथा इस विवाद के निराकरण का क्षेत्राधिकार भोपाल होगा। किसी भी पक्ष को ऐसे विवाद के निराकरण के लिये न्यायालय बाधित रहेगा।

हस्ताक्षर
(संबंधित नियोक्ता का नाम)
पदनाम .....
सील .....
फोन नं. .....

हस्ताक्षर
(अभ्यर्थी का नाम)
पदनाम .....
सील .....
फोन नं. .....

गवाह

1. हस्ताक्षर
नाम
पिता/पति का नाम .....
पता .....
मो.न. ..... ई–मेल .....

2. हस्ताक्षर
नाम
पिता/पति का नाम .....
पता .....
मो.न. ..... ई–मेल .....